02.02.23

पत्रावली पेश। प्रस्तुत प्रकरण में होर्डिंग के विषय पर बहस हेतु पत्रावली आज नियत थी। होर्डिंग पर बहस हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस किया की प्रस्तुत प्रकरण में रेलवे की तामील शोक ही होर्डिंग की आपत्ति रेलवे द्वारा नहीं उठाई गई है बाद तामील वर्तमान बहस इस बिन्दु पर ही निर्णय किया जा रहा है।

इसमें पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय अहलमद द्वारा लघुवाद होर्डिंग पर हुनने की रिपोर्ट की गई है प्रस्तुत अपील आन्तरिक लेखाजांच दल (आय) राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अधिरोपित राशि 1013625 की वसूली के निमित्त किये गये प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा-225 RTA के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। विवादाधीन आदेश संपरिवर्तन के सम्बन्धित वसूली का पुनरावलोकन आदेश है। इस आदेश के विरुद्ध पुनर्वार का होर्डिंग धारा-225 RTA में इस न्यायालय को नहीं है। अतः आदेशिका एवं इस अपील इस न्यायालय में लंबित रखने हुए कोई अपील अपीलांट को लेकर उचित स्तर पर धारा जोड़ने हेतु लोक पत्र के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय तक इजलास मुल्तवी गया। पत्रावली के पक्ष मुताबिक होकर नकल के क्रम होकर बाद प्रस्तुत अपील दाखिल दफ्तर हो।

Deepak

8.2.23